कार्यालय अंचल अधिकारी, कर्रा।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं0—..........

वाद का प्रकार:— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074 / रा0, दिनांक 13.06.2010 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं0 03 ख0म0नि0नि–119 / 85 / 2308 / रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–914 / रा0, दिनांक–09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि मौजा........ थाना नं0 ...... खाता नं0 .... खेसरा नं0 ...., रकबा .... एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी– II के जिल्द संख्या .... के पृष्ठ संख्या ...... पर जमाबंदी रैयत .... पिता / पति .... के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध बंदोबस्ती के आधार पर / अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक .... को रखें। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी कर्रा	अंचल अधिकारी कर्रा।

आदेश का क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी

अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत सुकर मांझी पिता पुरन मांझी के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है,

जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा लिमड़ा, थाना नं0 41 के सर्वे खतियान में खाता सं0 77 प्लॉट स0 335 रकबा क्रमश 1.50 एकड़ भूमि गैरमजुरूआ खास दर्ज है।

राजस्व मांग पजी ii भाग I के पृष्ट सं0 112 में सुकर मांझी पिता पुरन मांझी के नाम दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। पंजी II में लगान रसीद नियमित नही है।

सबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकुल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। रैयत द्वारा वर्षवार लगान जमा दर्ज नहीं पाया गया। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान मे संबंधित पक्ष का अस्पष्ट एवं अवैध दखल–कब्जा है।

राजस्व उपनिरीक्षक एव अचल निरीक्षक के द्वारा मौजा लिमड़ा, थाना नं0 41 खाता सं0 77, प्लॉट सं0 335, रकबा 1.50 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत सुकर मांझी पिता पुरन मांझी के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा लिमड़ा, थाना नं0 41 खाता स0 77 खेसरा स0 335 रकबा 1.50 एकड भूमि की जमाबंदी को **BLR ACT** 1950 की धारा **4 (h)** के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे।
लेखापित संशोधित।

अंचल अधिकारी
कर्रा।

अचल अधिकारी
कर्रा।